राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :जीएनएम/प्रशि/2012/ 1003 दिनांक : 24-8-01

परिपत्र

जीएनएम प्रशिक्षण में विभागीय कर्मचारी श्रेणी के अभ्यार्थियो को 10 प्रतिशत सीटो पर हॉरिजेन्टल बेसिस पर प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है, सत्र 2012–13 में भी पात्र विभागीय कर्मचारी श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार प्रवेश दिया गया है। ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थियो को संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति देने के लिये उनके प्रशासनिक अधिकारी से नियमानुसार कार्यमुक्त होना आवश्यक है।

इस निदेशालय के ध्यान में लाया गया है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियो को कार्यमुक्त होने के लिये इस निदेशालय से अनुमति लेने हेतु निर्देशित कर रहे है, जो कि उचित नही है।

अतः संबंधित प्रशासनिक अधिकारियो को निर्देशित किया जाता है कि वे जी.एन.एम. प्रशिक्षण सत्र 2012–13 में प्रवेशित विभागीय कर्मचारी श्रेणी के अभ्यर्थियो को उनको आंवटित प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति देने हेतु नियमानुसार अपने स्तर से ही कार्यमुक्त करने की कार्यवाही करे। जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2012–13 में प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में उपस्थिति देने की समयावधि 24.08.2012 से बढ़ाकर 31.08.2012 की जाती है।

यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय कर्मचारी श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियो की अधिकतम आयु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होने पर 40 वर्ष तथा अन्य श्रेणी के कर्मचारियो की 35 वर्ष निर्धारित है तथा कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है, जिसकी सेवा अवधि में समेकित वेतन/अनुबंध की सेवा अवधि शामिल नही है। अतः कार्यमुक्त करते समय/प्रशिक्षण में उपस्थिति लेते समय उपरोक्त प्रावधानो की विशेष रूप से पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(बी.के. दोसी)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :जीएनएम/प्रशि/2012/ 1003 दिनांक : 24-8-012

1. अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ जयपुर/अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/कोटा
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर/सीकर/भरतपुर/बांसवाड़ा/श्री गंगानगर/भीलवाड़ा/जालौर/पाली/बाड़मेर।
3. संबंधित प्रशासनिक अधिकारियो को पालनार्थ।
4. प्रधानाचार्य, सम्बन्धित निजि नर्सिंग स्कूल्स को पालनार्थ।
5. संबंधित प्रवेशित अभ्यर्थीयो को सूचनार्थ।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
7. आदेश/परिपत्र।

(बी.के. दोसी)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर